रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 571] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 2008/कार्तिक 5, 1930
No. 571] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2008/KARTIKA 5, 1930

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2008

**सा.का.नि. 754(अ).**—खाद्य अपमिश्रण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 106(अ), तारीख 25 फरवरी, 2008 द्वारा भारत के राजपत्र, में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 27 फरवरी, 2008 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात्, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (छठा संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के परिशिष्ट-ख में, धान चोकर तेल से संबंधित मद क.17.23 में "(vi) असाबुनीकरण पदार्थ ..... का भार में प्रतिशत 3.5 से अनधिक" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(vi) असाबुनीकरण पदार्थ–भार द्वारा प्रतिशत में–

(क) रसायनिक रूप से परिष्कृत ..... 3.5 से अनधिक

(ख) भौतिक रूप से परिष्कृत ..... 4.5 से अनधिक
ओरीजनल अंतर्विष्ट .....1.0 से अन्यून"

[फा. सं. पी-15014/28/2007-पी.एच. (फूड)]

देवाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण** : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 में सं. का.नि.आ. 2106 तारीख 12 सितम्बर, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 664(अ), तारीख 19-9-2008 द्वारा किया गया था ।

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**(Department of Health)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2008

**G.S.R. 754(E).**—Whereas a draft notification of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, was published, under sub-section (1) of Section 23 of the Prevention of Food Adultration Act, 1954 (37 of 1954), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), number G.S.R. 106(E) dated the 25th February, 2008, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification, were made available to the public ;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on the 27th February, 2008 ;

And whereas, objections and suggestions received from the public within the specified period on the said draft rules have been considered by the Central Government ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely :—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Sixth Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in Appendix B, in item A. 17.23 relating to Rice Bran Oil, for the words and figures "(vi) Unsaponifiable matter, per cent by weight ............ Not more than 3.5.", the following shall be substituted, namely :—

"(vi) Unsaponifiable matter, per cent by weight —

(a) for chemically refined———Not more than 3.5.

(b) for physically refined———Not more than 4.5.

Oryzanol content— ———Not less than 1.0."

[F. No. P. 15014/28/2007-PH (Food)]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.

**Note :** The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in the Gazette of India, *vide* notification number S.R.O. 2106, dated the 12th September, 1955 and were lastly amended *vide* notification number G.S.R. 664(E) dated 19-9-2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054